प्रेस विज्ञप्ति

17.01.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने **मेसर्स पेन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड** के केस में महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी, एमपीआईडी को 289.54 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां वापस कर दीं।

ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 5 के तहत संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था क्योंकि तत्कालीन पदाधिकारियों ने बैंकों को धोखा दिया था और निजी निवेश के लिए बैंक के फंड का गबन किया था। पेन पुलिस स्टेशन, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की गई थी। एलईए ने अपने आरोपपत्र में आरोप लगाया था कि बैंक के पदाधिकारियों ने बैंक के तत्कालीन लेखा परीक्षकों के साथ आपराधिक साजिश रची और जानबूझकर पेन बैंक के खातों की पुस्तकों में हेरफेर किया और धोखाधड़ी से लाभ की रिपोर्ट की और बैंक को **651.35 करोड़ रुपये** का नुकसान पहुंचाया।

ईडी की जांच से पता चला है कि जालसाजी और धोखाधड़ी के अपराध से उत्पन्न आय को बाजार में चेक डिस्काउंटर्स की सेवाओं का उपयोग करके उक्त बैंक में खोले गए फर्जी नकद क्रेडिट खातों के माध्यम से डायवर्ट और रूट किया गया था। अपराध की ऐसी आय (पीओसी) का एक हिस्सा तीसरे पक्ष (बेनामी संपत्तियों) के नाम पर महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में विभिन्न स्थानों पर अचल संपत्तियों की खरीद के लिए उपयोग किया गया था। 25.20 करोड़ रुपये की कीमत वाली 70.9 एकड़ की ये बेनामी संपत्तियां 26.05.2014 और 03.12.2014 को पीएमएलए की धारा 5 के तहत कुर्क की गई थीं। माननीय विशेष न्यायालय, पीएमएलए के समक्ष सब्जेक्ट केस में दिनांक 20.06.2018 को आगे अभियोजन शिकायत दायर की गई है और मुकदमा चल रहा है।

इस बीच, पेन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के एक जमाकर्ता द्वारा माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष एक आपराधिक रिट याचिका दायर की गई जिसमें पीएमएलए के तहत कुर्क की गई संपत्तियों को रिलीज करने की प्रार्थना की गई। माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिनांक 07.10.2016 के आदेश के तहत ईडी को संपत्तियां एमपीआईडी को सौंपने का निर्देश दिया। उक्त आदेश के खिलाफ, ईडी ने दिनांक 03.11.2017 के आदेश के तहत सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक एसएलपी दायर की, जिसने माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश पर स्थगन प्रदान किया। एमपीआईडी अधिकारियों ने पीएमएलए की धारा 8(8) के तहत दिनांक 01.02.2019 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष एमपीआईडी को कुर्क की गई संपत्ति को जब्त करने और उसकी प्रतिपूर्ति के लिए एक आवेदन दायर किया।

पेन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड के 2 लाख जमाकर्ता और 42,000 शेयरधारक थे, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई खो दी है। **जमाकर्ताओं के व्यापक हित और वर्तमान में चल रहे पुनर्स्थापन प्रयासों को देखते हुए**, ईडी ने एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एसएलपी वापस लेने का फैसला किया। परिणामस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा दायर किया गया, जिसे 13.12.2024 के आदेश के तहत अनुमति दी गई और एसएलपी वापस ले ली गई।

इसके बाद ईडी ने माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष एक हलफनामा दायर किया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 07.10.2016 के आदेश द्वारा कवर की गई संपत्तियों को वापस करने की इच्छा व्यक्त की गई। दिनांक 14.01.2025 के आदेशानुसार, माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने ईडी के आवेदन को स्वीकार कर लिया और **29 अचल संपत्तियाँ, जिनकी वर्तमान कीमत 289.54 करोड़ रुपये है**, को एमपीआईडी अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी को वापस करने का आदेश दिया।